

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1318
TO BE ANSWERED ON 19th December, 2022

PENSION TO EX-SERVICEMEN

1318 SHRI RAGHAV CHADHA:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) the total number of ex-servicemen personnel receiving pensions from Government in the State of Punjab;
- (b) the details of pensions being received by ex-servicemen in past five years, rank-wise and year-wise; and
- (c) the steps taken by Government for welfare of ex-servicemen in the country?

A N S W E R

MINISTER OF STATE
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(SHRI AJAY BHATT)

- (a): The total number of ex-servicemen personnel receiving pension through different pension disbursing agencies in the State of Punjab is approx : 249031
- (b): Rank wise details of pension being received by ex-servicemen in the past five years is not maintained in the Department. However, year wise details of booking of expenditure under Grant No. 22-Defence Pension for the last five years are as under:

Financial year	Booking of expenditure (Rupees in crore)
2017-18	91999.58
2018-19	101774.00
2019-20	117810.24
2020-21	128066.00
2021-22	116873.37

- (c): Directorate General of Resettlement and Kendriya Sainik Board are providing welfare schemes/benefits for resettlement, welfare and rehabilitation of ex-servicemen/widows and their dependents in States/UTs across the country. The details are placed at Annexure-I and Annexure-II respectively.

**ANNEXURE-I REFERRED TO IN REPLY TO PART (c) OF RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1318 FOR ANSWER ON 19.12.2022 REGARDING
“PENSION TO EX-SERVICEMEN”.**

Directorate General of Resettlement (DGR) run following Re-settlement schemes and Skill Development Training for Ex-Servicemen (ESM), Disabled Soldiers, Widows and their dependents based on willingness of ESM, fulfilment of eligibility criteria and availability of vacancies:-

- (a) Placement Assistance through on-line registration at DGR – DGR sponsors ESM to various Govt. organizations, Public Sector Undertaking, Corporate Houses, Private Sector Undertakings, Central Para Military Forces etc. based on their requisition for re-employment of ESM.
- (b) DGR Sponsored Security Agency Scheme – The DGR empanels/sponsors ESM run Private Security Agencies and State ESM Corporations for providing security guards to various Central Public Sector Undertakings, Corporate Houses, Private Sector Undertakings etc.
- (c) ESM Coal Loading and Transportation Scheme – The Scheme is administered on the basis of Memorandum of Understanding (MoU) between the Coal India Ltd. and DGR. Presently the scheme is subjudice post unilateral withdrawal of Coal India Ltd. from the MoU of 2013.
- (d) Coal Tipper Attachment Scheme – This Scheme is linked with the ESM Coal loading and transportation Scheme.
- (e) Tipper Attachment Scheme for Widows and Disabled Soldiers – Widows up to age of 65 and disabled soldiers having 50% or more disability are also eligible to enroll for this scheme.
- (f) Management of Indraprastha Gas Limited (IGL)/Maha Nagar Gas Limited (MNGL) /CNG Station by ESM in National Capital Region (NCR)/Pune – Desirous ESM registered in the scheme are sponsored on receipt of requisition from IGL (New Delhi and NCR region) & MNGL (Pune/Nashik).
- (g) Management of Company Owned Company Operated Retail Outlets – Willing ESM (Officer) who has not availed any other benefits is sponsored for the COCO based on Oil Company’s requisition for further selection by Oil Company.
- (h) Issue of DGR Eligibility Certificate for Allotment of LPG/Retail Outlet (Petrol/Diesel) Distributorship advertised by Oil Marketing Companies against 8% Reservation Quota – ESM including War Widows/dependents of those who died in war, war disabled/disabled on duty while serving in operations area, widows/dependents of those who died in harness due to attributable or aggravated causes to Military Service and ESM disabled in peace due to attributable or aggravated causes to Military service are eligible.

- (i) Allotment of Mother Dairy Milk Booths and Fruit & Vegetable (Safal) Shops in NCR – The ESM registered for Milk/SAFAL (Fruit and Vegetable) booths separately and give multiple choice of zones for the purpose of areas where booths are required.
- (j) DGR Technical Service Scheme – DGR provide ESM manpower for ‘Technical Services’ to the Government Est/Complexes through empaneled State ESM Corporations. This scheme is recently introduced.
- (k) Resettlement Training/Skill Development Courses – Training Directorate at DGR is responsible for organizing and conducting Resettlement/Skill Development Training Courses for retiring/retired personnel of Indian Armed Forces.

**ANNEXURE-II REFERRED TO IN REPLY TO PART (c) OF RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1318 FOR ANSWER ON 19.12.2022 REGARDING
“PENSION TO EX-SERVICEMEN”.**

**THE DETAILS OF WELFARE SHMES PROVIDED BY KENDRIYA SAINIK BOARD
(KBS)**

1. Financial assistance/benefits given from Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) under Raksha Mantri Ex-Servicemen Welfare Fund (RMEWF): -

Ser	Grants	Amount(in Rs)
(a)	Penury Grant (65 Yrs and above) (Non-Pensioners upto Hav Rank)	Rs 4,000/-pm (Life time)
(b)	Education Grant (upto two children) (i) Boys/Girls upto Graduation (ii) Widows for PG (Pensioner/Non Pensioner upto Hav Rank) and upto two children	Rs 1,000/-pm
(c)	Disabled Children Grant (Pensioner/Non-pen upto JCO Rank)	Rs 3,000/-pm
(d)	Daughter's Marriage Grant (upto 02 Daughters) (Pensioner/Non-Pen upto Hav Rank)	Rs 50,000/- *
	Widow Re-Marriage Grant (Pensioner/Non-Pen upto Hav Rank) * If married solemnly on or after 21 Apr 16.	
(e)	Medical Treatment Grant (Non-pensioner upto Hav Rank)	Rs 30,000/- (Max)
(f)	Orphan Grant(Pensioner/Non-pen All Ranks) <ul style="list-style-type: none"> • Daughters of ex-servicemen till she is married. • One Son of ex-servicemen upto 21 years of age. 	Rs 3,000/-PM
(g)	Vocational Trg Grant For Widows (Pensioner/Non-Pen upto Hav Rank)	Rs 20,000/- (One Time)

2. Serious diseases Grant from AFFD Fund to Non Pensioners ESM of all Ranks:-

(a)	<u>Serious Diseases</u> as listed below: - Angioplasty, Angiography, CABG, Open Heart Surgery, Valve Replacement, Pacemaker Implant, Renal Implant, Prostate Surgery, Joint Replacement and Cerebral Stoke. <u>Other Diseases:</u> Where more than Rs 1.00 Lac has been spent on treatment	75%/90% of total expenditure for officers and PBOR respectively. UptoRs 1.25 Lac (max)
(b)	Dialysis and Cancer treatment	75%/90% of total expenditure Officer and PBOR respectively Upto a max of Rs 75,000/- per FYonly.

3 Modified Scooter Grant: Rs.1,00,000 (One Lakh) provided to those ESM, who are disabled after service with a disability of 50% or more and who are not covered under the scheme of AG's Branch of IHQ (Army, Navy & Air Force).

4 Subsidy on Home Loan: KSB Reimburses 50% of interest by way of subsidy on home loan from Bank/public sector institutions for construction of house to war bereave, war disabled and attributable peace time casualties. Rs 1,00,000/- (Max)

5 Prime Minister's Scholarship Scheme: Total 5500 scholarship are provided to eligible wards based on merit for the entire duration of the courses. The rates of Scholarship are as follows: -

- (a) Rs. 2,500/- per month for boys.
- (b) Rs. 3,000/- per month for girls.

6. Financial support to institutions involved in rehabilitation of ESM:-

Ser	Organisation	Quantum of Aid/Grant
(a)	Paraplegic Rehabilitation Centers (i) Kirkee (ii) Mohali	Establishment grant (per annum) (i) Rs 1.20 cr wef Apr 16 (ii) Rs 10,00,000/- (wef Apr 2015) } 30,000/- per annum per inmate
(b)	All India Gorkha Ex-servicemen welfare association, Dehradun	Rs. 12,00,000/- per annum
(c)	Cheshire Homes (i) Lucknow, Delhi & Dehradun	Rs 15,000/- per annum per inmate
(d)	War Memorial Hostels. There are 36 WMHs which provide shelter to the children of War Widows/War disabled, attributable and non attributable cases.	Rs 1350/- per month

7. Reservation of seats in Medical/Dental Colleges for wards of Defence Personnel as Government of India Nominee. A total of 42 MBBS seats and 3 seats in BDS courses are allotted by Ministry of Health Family Welfare to KSB for wards of defence personnel as a Government of India nominee. Priority I is given to killed in action.
8. Rail Travel Concession Identity Cards. KSB Sectt issues rail travel concession identity cards to war widows.

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1318
19 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन

1318. श्री राघव चड्हा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पंजाब राज्य में सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) पिछले पांच वर्षों में भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त होने वाली पेंशन का रैंक-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा देश में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

- (क) पंजाब राज्य में विभिन्न पेंशन संवितरण एजेंसियों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों की कुल संख्या लगभग: 249031 है।
- (ख) पिछले पांच वर्षों में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन के रैंक-वार ब्यौरे इस विभाग में नहीं रखे जाते हैं। तथापि अनुदान सं. 22- पिछले पांच वर्षों के लिए रक्षा पेंशन के अंतर्गत व्यय की बुकिंग के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वित्त वर्ष	व्यय की बुकिंग (करोड़ रूपए में)
2017-18	91999.58
2018-19	101774.00
2019-20	117810.24
2020-21	128066.00
2021-22	116873.37

- (ग) पुनर्वास महानिदेशालय और केंद्रीय सैनिक बोर्ड पूरे देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं और उनके आश्रितों के पुनर्वास, कल्याण तथा पुनर्नियुक्ति के लिए कल्याण स्कीमें/लाभ उपलब्ध कराते हैं। विवरण क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

"भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1318 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखितअनुबंध-।

पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) की इच्छा पात्रता मानदंड को पूरा करने और रिक्तियों की उपलब्धता के आधारपर निःशक्त सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए निम्नलिखित पुनर्वास स्कीमें और कौशल विकास प्रशिक्षण संचालित करता है:-

- (क) डीजीआर में ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से नियोजन सहायता - पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न सरकारी संगठनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉरपोरेट घरानों, निजी क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्रीय अर्थ-सैनिक बलों आदि में उनकी भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति आवश्यकता के आधार पर प्रायोजित करता है।
- (ख) डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा एजेंसी योजना - डीजीआर भूतपूर्व सैनिकों द्वारा संचालित निजी सुरक्षा एजेंसियों तथा राज्य ईएसएम कॉरपोरेशनों को विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉरपोरेट घरानों, निजी क्षेत्र के उपक्रमों आदि को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने के लिए पैनलबद्ध/प्रायोजित करता है।
- (ग) ईएसएम कोयला लोडिंग और परिवहन योजना- यह योजना कोल इंडिया लिमिटेड और डीजीआर के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर चलाई जाती है। इस समय यह स्कीम 2013 के समझौता ज्ञापन से कोल इंडिया लिमिटेड के एक पक्षीय वापसी के बाद न्यायाधीन है।
- (घ) कोयला टिप्पर अटैचमेंट स्कीम- यह योजना कोयला लदान और परिवहन योजना से संबद्ध है।
- (ङ) विधवाओं और निःशक्त सैनिकों के लिए टिप्पर अटैचमेंट स्कीम- 65 वर्ष तक की आयुवाली महिलाएं और 50% या उससे अधिक निःशक्तता वाले सैनिक भी इस स्कीम में नामांकित होने के लिए पात्र हैं।
- (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)/ पुणे में ईएसएम द्वारा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल)/महानगर गैस लिमिटेड (एमएनजीएल)/सीएनजी स्टेशन का प्रबंधन- इस योजना में पंजीकृत इच्छुक ईएसएम को आईजीएल (नई दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र) और एमएचजीएल (पुणे/नासिक) से मांग प्राप्त होने पर प्रायोजित किया जाता है।
- (छ) कंपनी स्वामित्व कंपनी संचालित रिटेल आउटलेट्स का प्रबंधन - इच्छुक ईएसएम (अधिकारी) जिन्होंने अन्य कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है, को तेल कंपनी द्वारा आगे चयन के लिए तेल कंपनी की मांग के आधार पर सीओसीओ के लिए प्रायोजित किया जाता है।
- (ज) 8% आरक्षण कोटा के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा विज्ञापित एलपीजी/रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन हेतु डीजीआर पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना- पात्र रक्षा कार्मिकों में [ईएसएम सहित युद्ध विधवाए़/युद्ध में मारे गए सैनिकों के](https://www.staffnews.in)

आश्रित, युद्ध निःशक्ति/संक्रियात्मक क्षेत्र में सेवा करते हुए छूटी के दौरान निःशक्ति, सैन्य सेवा पर आरोप्य अथवा इसके कारण छूटी के दौरान मारे गए सैनिकों की विधवाएं/आश्रित तथा सैन्य सेवा पर आरोप्य अथवा इसके कारण शांतिकाल में निःशक्ति हुए भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं।

- (झ) एनसीआर में मदर डेटरी दुग्ध बूथों, फलों तथा सब्जी (सफल) दुकानों का आबंटन – दुग्ध/सफल (फल और सब्जी) के लिए ईएसएम को अलग से पंजीकरण किया जाता है और जहां बूथों की आवश्यकता होती है वहां के क्षेत्रों के लिए जो अलग-अलग विकल्प क्षेत्र होते हैं।
- (ज) डीजीआर तकनीकी सेवा योजना – डीजीआर पैनलबद्ध राज्य ईएसएम नियमों के माध्यम से सरकारी स्थापनाओं/परिसरों को ‘तकनीकी सेवाओं’ के लिए ईएसएम जनशक्ति उपलब्ध कराता है।
- (ट) पुनर्वास प्रशिक्षण/कौशल विकास पाठ्यक्रम – डीजीआर में प्रशिक्षण निदेशालय भारतीय सैन्य बलों के सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए पुनर्वास/कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित और संचालित करने के लिए उत्तरदायी है।

"भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1318 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखितअनुबंध-II।

केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई कल्याण योजनाओं का ब्यौरा

- रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि (आरएमईडब्ल्यूएफ) के अंतर्गत सशत्र बल झंडा दिवस निधि (एएफएफडीएफ) से दी गई वित्तीय सहायता/लाभ :-

क्र. सं.	अनुदान	धनराशि (करोड़ रु. में)
(क)	<u>निर्धनता अनुदान(65 वर्ष और उससे अधिक)</u> (हवलदार रैंक तक के गैर-पेंशनर)	4,000/- रु. प्रतिमाह (आजीवन)
(ख)	शिक्षा अनुदान (दो बच्चों तक) (i) लड़के/लड़कियां स्नातक तक (ii) विधवाओं को छात्रावास के लिए (हवलदार रैंक तक के पेंशनर/गैर-पेंशनर) और दो बच्चों तक	1,000/- रु. प्रतिमाह
(ग)	<u>निशक्त बच्चों के लिए अनुदान</u> (जेसीओ रैंक तक के पेंशनर/गैर-पेंशनर)	3,000/- रु. प्रतिमाह
(घ)	<u>पुत्री के विवाह के लिए अनुदान</u> (02 पुत्रियों तक) (हवलदार रैंक तक के पेंशनर/गैर-पेंशनर) <u>विधवा पुनर्विवाह अनुदान</u> (हवलदार रैंक तक के पेंशनर/गैर-पेंशनर) * यदि वास्तविक रूप से 21 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात विवाह हुआ हो।	50,000/- रु.*
(ङ)	चिकित्सा उपचार अनुदान (हवलदार रैंक तक के गैर-पेंशनर)	30,000/- रु. (अधिकतम)
(च)	अनाथ के लिए अनुदान (सभी रैंकों के पेंशनर/गैर-पेंशनर) <ul style="list-style-type: none"> • भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियां जब तक उसका विवाह न हुआ हो। • भूतपूर्व सैनिकों का 21 वर्ष तक की आयु का एक पुत्र 	3,000/- रु. प्रतिमाह
(छ)	<u>विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान</u> (हवलदार रैंक तक के पेंशनर/गैर-पेंशनर)	20,000/- रु. (एक बारगी)

2. सभी रैंकों के सभी गैर पेंशनर ईएसएम को एएफएफडी निधि से गंभीर बीमारी अनुदान:-

(क)	नीचे दी गई सूची के अनुसार गंभीर रोग:- एंजियोप्लास्टी, एंजीयोग्राफी, सीएबीजी, ओपन हार्ड सर्जरी, वाल्व बदलना, पेसमेकर इम्प्लांट, रेनल इम्प्लांट, प्रोस्टेट सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और सेरेब्रल स्टोक। अन्य रोग:- जिनमें उपचार पर 1.00 लाख रु. से अधिक खर्च किया गया है।	अधिकारियों और अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिक (पीबीओआर) के लिए कुल व्यय का क्रमशः 75% / 90% 1.25 लाख रु. तक (अधिकतम)
(ख)	डायलेसिस और कैंसर उपचार	अधिकारी और पीबीओआर के लिए कुल व्यय का क्रमशः 75% / 90% अधिकतम 75,000 हजार रु. तक प्रति वित्तवर्ष।

3. संशोधित स्कूटर अनुदान: ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) जो सेवा के उपरांत निःशक्त हो गए हैं और जिनकी निःशक्तता 50% या उससे अधिक है तथा जो आईएचक्यू (सेना, नौसेना और वायुसेना) की एजी की शाखा की स्कीम के अंतर्गत नहीं है, को एक लाख रु. दिए जाते हैं।

4. गृह ऋण होमलोन पर अनुदान: केंद्रीय सैनिक बोर्ड, युद्ध शोक संतस, युद्ध निःशक्त और आरोप्य शांतिकाल दुर्घटना के लिए घर के निर्माण हेतु बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से होमलोन पर अनुदान के माध्यम से ब्याज में 50% की प्रतिपूर्ति करता है।

5. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना: पात्र बच्चों को पाठ्यक्रमों की पूरी अवधि के लिए मेरिट के आधार पर कुल 5500 छात्र वृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार है:-

- (क) बालकों के लिए 2500/-रु. प्रतिमाह।
- (ख) बालिकाओं के लिए 3000/- रु. प्रतिमाह।

6. ईएसएम के पुनर्वास में शामिल संस्थानों को वित्तीय सहायता:-

क्र. सं.	संगठन	सहायता /अनुदान की मात्रा
(क)	<u>लकवाग्रस्त रोगियों के लिए पुनर्वास</u> केंद्र (i) किर्की (ii) मोहाली	स्थापना अनुदान(प्रतिवर्ष) (i) अप्रैल 2016 से 1.20 करोड़ 30.000/- रु. (ii) 10,00,000/- रु. (अप्रैल 2015 से) } प्रतिवर्ष प्रति संवासी
(ख)	अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व	12,00,000/- रु. प्रतिवर्ष

	सैनिक कल्याण संघ, देहरादून	
(ग)	चेशायर होम्स (लखनऊ, दिल्ली और देहरादून)	15,000/- रु. प्रतिवर्ष प्रति संवासी
(घ)	<u>युद्ध स्मारक छात्रावास:</u> 36 डब्ल्यूएमएच हैं जो युद्ध विधवाओं/सेना पर आरोप्य और अनारोप्य कारणों से निश्चित हुए सैनिकों के बच्चों को आश्रय उपलब्ध कराते हैं।	1350/- रु. प्रतिमाह

7. भारत सरकार के नामिनी के तौर पर रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए चिकित्सा/ दंत चिकित्सा कॉलेजों में सीटों का आरक्षण - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कुल 42 एमबीबीएस सीटें और बीडीएस पाठ्यक्रमों में 3 सीटें भारत सरकार के नामिनी के तौर पर रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड को आवंटित की जाती हैं। इसमें सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है।
8. रेलयात्रा रियायत पहचान पत्र- केएसबी सचिवालय युद्ध विधवाओं को रेलयात्रा रियायत पहचान पत्र जारी करता है।
